

निगा-4544/2018/शहडोल/पुष्पा

13

न्यायालय - श्रीमान सदस्यगण, म०प्र० राजस्व मंडल ग्वालियर,  
सर्किट बैंच रीवा म०प्र०



विजय सिंह गोड आयु लगभग 65 वर्ष पिता बहादुर सिंह गोंड  
निवासी ग्राम नगमला, तहसील पुष्पराजगढ़,  
जिला अनूपपुर म०प्र०

—निगरानीकर्ता

बनाम

- 1 लल्ला पिता जिराखन कोल
- 2 गुड्डा पिता जिराखन कोल
- 3 पुरुषोत्तम कोल पिता गेंदलाल  
सभी निवासी ग्राम बाऊ तहसील सोहागपुर,  
जिला शहडोल, म०प्र०
- 4 श्यामलाल पटेल पिता चरकू पटेल,  
निवासी ग्राम केरहा, तहसील सोहागपुर,  
जिला शहडोल, म०प्र०

—प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 म०प्र०  
भू राजस्व संहिता 1959  
निगरानी विरुद्ध माननीय अधीनस्थ  
न्यायालय कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल  
म०प्र० के प्रकरण क० 307/निगरानी/  
08-09 में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2018

महोदय,  
निगरानीकर्ता की ओर से निम्न लिखित विनय है -

प्रकरण के तथ्य

- 1 यह कि निगराकार गोड़ जाति का आदिम जनजाति का आदिवासी व्यक्ति है तथा ग्राम नगमला, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर, म०प्र० का निवासी है।

विजय सिंह

विजय सिंह गेट / लला कोठे गेट

R 4544-राहडोल/18

8

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
<p>21-8-18</p> <p>(43)</p>	<p>1- आवेदक श्री ओट से नी राजकुमार सिंह एड उफ।</p> <p>2- वाले कापसी पट तब, पेगी हापीय, 7-9-18</p> <p>आदेश के द्वारा</p>	<p>7.9.18</p> <p>कापसी</p>
<p>7-9-18</p>	<p>1- आवेदक आर्थवक्ता श्री राजकुमार सिंह उफ। गारुपता पट लुना गप्पा।</p> <p>2- वाले आदेश।</p> <p>सफर</p> <p>पुनः मू-राजस्व संहिता/1999 की धरारा 50 के अन्तर्गत निगरानी के ऊपर पुनः निगरानी का कोई प्रावधान नहीं है। आवेदक विजयसिंह से द्वारा कलेक्टर राहडोल के प्रकरण क्रमांक 18/अपीक/1 1992-93 में पत्रित आदेश दिनांक 13-2-1995 के विरुद्ध कमिश्नर राहडोल को निगरानी (Revision) प्रस्तुत की थी, जिसे कमिश्नर राहडोल ने प्रकरण क्रमांक 307/निग/16/1 2008-09 में पत्रित आदेश दिनांक 26.04.2008 से निगरानी आरहीन की होने से अमान्य की है। अंतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत निगरानी आवेदन अंग्राह्य किया जाता है। अभिभावक गप्पा के नोट करायें जायें।</p>	<p>N.F</p> <p><del>Handwritten signature</del></p>

हस्ताक्षर  
7/9/18